

10/11/18

करोकन उप०/P.O.

बाबली दिनांक 21/11/18
को पेश हो।



उपस्थित
साबिक अदेश दिनांक 8/12/15
की पालना में पत्रावली वास्ते
दिनांक 16/2/18 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
कतमर (अजमेर)

16/2/18

करोकन उप०/P.O.

बाबली दिनांक 13/11/18
को पेश हो।



अनुसूचित उपस्थित / बाबली के वकील
की ओर से एक प्रा० नं० 23 R/18
पेश किया गया जिसमें कि उक्त
बाबली के विरुद्ध कायम चालू है कि
एक का विरुद्ध की इजाजत दी
जाएगी नं० 173 का के अंत
में जहाँ कायम पुनः वहाँ का पेश
काने की अनुमति दी जायेगी (अनुमति)
का न के जो सार कि कि अंत ही कि
पेश की बाबली राकर वाली विरुद्ध कि कि
जायेगी इजाजत दी जायेगी कि कि न के
नं० 173 का जहाँ का कि कि
न के की अनुमति दी जायेगी कि कि
किसल पुनः कि कि कि कि कि कि